भारत सरकार

परमाणु ऊर्जा विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 807

जिसका उत्तर दिनांक 09.02.2023 को दिया जाना है

कुडनकुलम में परमाणु संयंत्र

807 श्री वाइको :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुडनकुलम स्थित परमाणु संयंत्र को प्रयुक्त परमाणु ईंधन के असुरक्षित भंडारण के कारण बंद करने की मांग की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या उच्चतम न्यायालय ने विशेषज्ञों और तमिलनाडु राज्य सरकार की मदद से प्रयुक्त परमाणु ईंधन के भंडारण की समस्या का समाधान करने का निर्देश दिया है;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) विनाश के जोखिम से बचने के लिए कुडनकुलम संयंत्र में अवे फ्रॉम रिएक्टर (एएफआर) फैसिलिटी के निर्माण सहित सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधान मंत्री कार्यालय (डॉ. जितेंद्र सिंह) :

(क) कुछ समूहों द्वारा कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत संयंत्र (केकेएनपीपी) को बंद करने की मांग की गई है।

(ख) न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल) ने केकेएनपीपी - 1 व 2 में 'रिएक्टर से दूर' (एएफआर) सुविधा के निर्माण के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय को विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया है।

(ग) माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया है।

(घ) उपर्युक्त (ग) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) भारत में एएफआर सुविधाओं के अभिकल्प, निर्माण, कमीशनन और प्रचालन के लिए एईआरबी की विस्तृत नियामक सहमति प्रक्रिया और दिशानिर्देशों का अनुपालन किया जाता है। एएफआर सुविधा को बड़े सुरक्षा पहलुओं सहित व्यापक संरक्षा दृष्टिकोण के साथ अभिकल्पित किया गया है जिससे भूकंप और सुनामी जैसी बड़ी प्राकृतिक विपदाओं का सामना किया जा सके। इसकी अभिकल्प करते समय यह सुनिश्चित किया गया है कि संयंत्र कर्मियों, आम जनता या पर्यावरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े क्योंकि ऐसी सुविधाएं पहले से ही अन्य स्थलों पर मौजूद हैं।

* * * * *